न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0 ...15.../19 तारीखरजू:– 3-4-19

उनवान:– भगवान सिंह बनाम बाबू वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम
3-4-19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 24/04/2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 541/0.07, 546/0.80, 1451/0.05, 142/0.51, कुल किता 5 कुल रकवा 1.61 है0, 547/0.21, 550/0.08 कुल किता 2 रकवा 0.29 है0 ग्रम देवलेन तहसील टोडाभीम जिला करौली मे आगामी तिथि तक रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश दिए जाते है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 24/04/2019 को पेश हो। 1259-61/3-4-19 उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली
9	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी न० 1 उपस्थित होकर वकालात नामा श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट पेश किया। अप्रार्थी न० 2, 3 को बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। P0 साहब चुनाव कार्य वास्ते कोठी पधारे हैं। वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 14-6-19 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांक	फर्द अहकाम
14.6.19	वकुलाय उप०/ प्रतिवादी नं. 2, 3 बावजूद सूचना उप० नहीं है. उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है प्रतिवादी नं. 1 का जवाब पेश करने दिनांक 16.7.19 को पेश हो।
16.7.19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी दौरे पर पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 20.8.19 को पेश हो। रीडर
20.8.19	वकुलाय उप०/ जवाब दावा पेश नहीं करने पर वकील वादी ने एतराज दर्ज कराया। जवाब दावा पेश करने अंतिम मौका दिया जाता है। जवाब पेश करने दिनांक 3.9.19 को पेश हो।
3.9.19	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी वकील उपस्थित नहीं। कई बार आवाज दिलवाई गई फिर भी अप्रार्थी एवं अप्रार्थी वकील उपस्थित नहीं है। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए गैरसायल को दावा के फैसला होने तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द करने का कथन किया। प्रार्थी वकील की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 3.4.19 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के निस्तारण होने तक कन्फर्म किया जाना उचित पाता हूं। अतः दिनांक 3.4.19 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के निस्तारण होने तक गैरसायलान को ग्राम देवलेन की भूमि ख.नं. 541/0.09, 546/0.80, 1451/0.05, 142/0.51, 544/0.18, 547/0.21, 550/0.08 पर रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2019.12.04 14:51:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: